



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-544

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 309216 दिनांक 29/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Kamla Ben Patel W/o P. D. PATEL	श्रीमती गीता जसोरिया पत्नी श्री रामकिशोर जसोरिया	28	294.62 SQ. YARD	Cooperative	ROHINI NAGAR	Sub Division and Reconstitution	आवेदिका श्रीमती कमला बेन पटेल पत्नी श्री प्रवीण कुमार पटेल द्वारा शंकर भवन गृ.नि.स.स. की योजना रोहिणी नगर के भूखण्ड संख्या 28 क्षेत्रफल 150 वर्गगज के उप विभाजन मय पट्टा हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या 28 क्षेत्रफल 294.62 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 11.03.2002 को श्रीमती गीता जसोरिया पत्नी श्री रामकिशोर जसोरिया के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 28 क्षेत्रफल 294.62 वर्गगज को श्रीमती गीता जसोरिया पत्नी श्री रामकिशोर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								जसोरिया द्वारा जरिये पंजीकृत मुखत्यारनामा आम दिनांक 22.12.2004 को श्री वेद प्रकाश शर्मा पुत्र श्री राम किशोर शर्मा को मुखत्यारनामा आम नियुक्त किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 28 क्षेत्रफल 294.62 वर्गगज का पूर्वी भाग क्षेत्रफल 150 वर्गगज को श्री वेद प्रकाश शर्मा पुत्र श्री राम किशोर शर्मा द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 19.12.2007 को श्रीमती सावित्री देवी शर्मा पत्नी श्री वेद प्रकाश शर्मा को बेचान किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 28 क्षेत्रफल 150 वर्गगज को श्रीमती सावित्री देवी शर्मा पत्नी श्री वेद प्रकाश शर्मा द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.06.2008 को श्रीमती कमला बेन पटेल पत्नी श्री प्रवीण कुमार पटेल को बेचान किया गया।
--	--	--	--	--	--	--	--	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Kamla Ben Patel W/o P. D. PATEL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |